बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– ....

संख्या–21/एस0एस0सी0–36/2012 .... बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम–2014 की धारा–10 में प्रावधान है कि इस अधिनियम की अनुसूची में यथा–सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी । परन्तु इस अधिनियम की अनुसूची में यथा–सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी ।

2. बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम के अधिनियमित हो जाने के उपरांत आयोग के लिए पद सृजन, बजट आवंटन, सुसंगत नियमावलियों के गठन एवं कार्यालय और कर्मिकों की व्यवस्था आदि की कार्रवाइयाँ प्रक्रियाधीन हैं, जिनके पूरा होने में समय लगने की संभावना है । इस बीच उक्त अधिनियम की अनुसूची में वर्णित पदों के चयन की कार्रवाई बाधित होने की संभावना है ।

3. अतः उक्त कठिनाइयों के निराकरण हेतु बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम की धारा 16 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम–2014 की अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी अनुसूची में सम्मिलित पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्रवाइयाँ यथा– विज्ञापन प्रकाशित करना परीक्षाएँ आयोजित करना तथा नियुक्ति के संबंध में अधियाचना करने वाले संबंधित प्राधिकार को अनुशंसा प्रेषित करना आदि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पूर्ववत् की जाती रहेगी ।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से 6 माह अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के कार्यशील होने की तिथि में से जो पहले हो, तक लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(केशव कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– 21/एस0एस0सी0–36/2012 ....पटना–15, दनांक– ....

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 1000 प्रतियाँ भेजने हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव ।

Letter

ज्ञापांक– 21/एस0एस0सी0–36/2012 ....पटना–15, दनांक– ....

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक– 21/एस0एस0सी0–36/2012 13273 पटना–15, दनांक– 22.9.14

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/9/2014
सरकार के अपर सचिव ।

Letter